कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।

जिला सूचनाधिकारी, एटा।

विज्ञप्ति

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 112/एसएलएसए-90/2023 दिनाक 10.01.2024 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय एटा में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार पराविधिक स्वयं सेवकों की भर्ती की जानी है, चयन प्रक्रिया के तहत पराविधिक सेवकों द्वारा तहसील विधिक सेवा समिति जलेसर एवं अलीगंज में अपनी सेवाये प्रदान किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है आवेदन हेतु आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में प्राप्त किए हुए ही मान्य होंगे आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2026 से दिनांक 06.11.2026 को सांय 5:00 बजे तक प्राप्त किए जायेंगे तथा नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन नियमानुसार एक वर्ष के लिए किया जायेगा जो कि आगे इनकी कार्य कुशलता के आधार पर कार्यकाल बढाया जा सकता है। चयनित पराविधिक स्वयंसेवक हेतु कोई निर्धारित वेतन देय नहीं है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पराविधिक सेवक को केवल निर्धारित मानदेय ही देय होगा।

इच्छुक अभ्यर्थी निम्नांकित अभिलेख सहित आवेदन कर सकते है जो निम्नवत् हैः-

1. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेश/हाईस्कूल या समकक्ष हो।
2. अभ्यर्थी अपने पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. सेवा निवृत्त शिक्षक, शासकीय सेवा से निवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक, एम0एस0डब्लू0 विद्यार्थी एवं शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, चिकित्सक, विधि विद्यार्थी एवं एन0जी0ओ0के सदस्यों आदि का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

दिनांकः-23.10.2026

(युगल चन्द्र चौधरी)
अपर सिविल जज(सी0डि)/प्रभारी-सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषतः-

1. केन्द्रीय नाजिर दीवानी न्यायालय को विज्ञप्ति को दीवानी कचहरी के सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
2. केन्द्रीय नाजिर कलेक्ट्रेट को विज्ञप्ति को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
3. समस्त तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु ।
4. अध्यक्ष व सचिव बार एसोसिएसन को बार के सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
5. जनसामान्य की सूचना हेतु समस्त दैनिक समाचार पत्र को निःशुल्क प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।
6. जनपद न्यायालय एटा की वेबसाइट पर विज्ञप्ति को दर्शित करने हेतु सिस्टम आफीसर जनपद न्यायालय एटा।

प्रभारी-सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।